न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 161 / 2020(2020 / 00219)

अनवान : --

1. विनोद कुमार पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रणसिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कृष्ण भारी वादी
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक नं0 2 एनटीआर के खाता संख्या 84 / 84 के मुरब्बा नं0 45 के किला नं0 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 15, 16 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 1 ता 2, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर किला नं0 13 / 1 की 0.240 हैक्टेयर व 18 / 1 की 0.013 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामजीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामजीलाल के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रणसिह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रणसिह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की है। जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रणसिह को वादी के दादा रामजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबंदी चक 2 एनटीआर के खाता संख्या 84 / 84 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 184/2020 लालचन्द बनाम चन्दगीराम आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 84/84 प्रदर्श 1, शपथ पत्र वारिस हेतु प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक नं0 2 एनटीआर के खाता संख्या 84/84 के मुरब्बा नं0 45 के किला नं0 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 15, 16 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 1 ता 2, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर किला नं0 13/1 की 0.240 हैक्टेयर व 18/1 की 0.013 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 रणसिंह, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक नं0 2 एनटीआर के खाता संख्या 84/84 के मुरब्बा नं0 45 के किला नं0 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 15, 16 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 1 ता 2, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर किला नं0 13/1 की 0. 240 हैक्टेयर व 18/1 की 0.013 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी विनोद कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 रणसिह, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17/02/21 को ... जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़